

1	विभाग का नाम	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
2	योजना का नाम	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक क्रांतिकारी निर्णय है, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर तैयार किया गया है। जिसके अन्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम रु0 25.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु0 10.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराकर जनपद के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को रोजगारयुक्त कराया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	1-योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। 2-विनिर्माण हेतु लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास तथा सेवा उद्योग के कार्य हेतु न्यूनतम 08वीं पास होना अनिवार्य है।
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	<a href="http://www.kviconline.gov.in/">http://www.kviconline.gov.in/</a> के PMEGP ePortal पर लॉगिन कर Online Application form for individual फार्म को लिंक करते हुए आवेदन किया जाता है।
6	लिंक वेबसाइट	<a href="http://www.kviconline.gov.in/">http://www.kviconline.gov.in/</a> के PMEGP ePortal
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अथवा संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।